न्यायालय :: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, जालोर

पीठासीन अधिकारी – राजेन्द्रसिंह चारण, आर.जे.एस.
फौजदारी मूल प्रकरण संख्या– 34/2022
सी.आई.एस. सं. 255/2022
सीएनआर. सं.– RJJL020005462022

––

अभियोगी–
राजस्थान–राज्य

विरुद्ध

अभियुक्त–
कैलाश पुत्र उम्मेदाराम, निवासी राजेन्द्र नगर, जालोर, पुलिस थाना कोतवाली जालोर, जिला जालोर।

:: अपराध अंतर्गत धारा 341, 354, 354घ, 509 भारतीय दण्ड संहिता::

उपस्थितः–
1–विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी – राज्य की ओर से।
2–विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार दवे – अभियुक्त की ओर से।
3–विद्वान अधिवक्ता श्री चिरंजीलाल गहलोत – परिवादिया की ओर से।

–:: प्रकरण का संक्षिप्त विवरण ::–

अपराध की तिथि	22.02.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	22.02.2022
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	10.03.2022
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	10.03.2022
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	10.03.2022
निर्णय की तिथि	09.04.2026
दंड दिए जाने की तिथि (यदि कोई हो तो)	09.04.2026

–:: अभियुक्त का विवरण ::–

अभियुक्त की क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	अभियुक्त के आरोप का विवरण	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दिए गए दंड का विवरण यदि कोई हो तो	धारा–428 दं.प्र.सं. के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि
01.	कैलाश	––	10.03.2022	341, 354, 354घ व 509 भा.दं.सं.	धारा 341, 354 भा.द.स. में दोषसिद्ध व धारा 354घ, 509 भा.द.स. में दोषमुक्त	दण्डादेश में वर्णितानुसार	––

—:: अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची ::—

क. अभियोजन/परिवादी पक्ष

अभियोजन गवाह सं.	गवाह का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पीडब्ल्यू 1	सुजाराम	मौका मौतबीर
पीडब्ल्यू 2	पुखराज	मौका मौतबीर
पीडब्ल्यू 3	ललिता	चश्मदीद गवाह
पीडब्ल्यू 4	प्रवीण	चश्मदीद गवाह
पीडब्ल्यू 5	रेखा	परिवादिया/शिकायतकर्ता
पीडब्ल्यू 6	धर्मेन्द्र हुड्डा	अनुसंधान अधिकारी
पीडब्ल्यू 7	चम्पा देवी	चश्मदीद गवाह

ख. बचाव

अभियुक्त गवाह सं.	गवाह का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
——	——	——

—:: अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची ::—

क. अभियोजन/परिवादी पक्ष

प्रदर्श सं.	प्रदर्शित दस्तावेज का विवरण	गवाह जिसके द्वारा दस्तावेज सिद्ध अथवा प्रमाणित किया गया
प्रदर्श पी 1	फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका	पीडब्ल्यू 1 सुजाराम, पीडब्ल्यू 2 पुखराज, पीडब्ल्यू 5 रेखा, पीडब्ल्यू 6 धर्मेन्द्र हुड्डा
प्रदर्श पी 2	घटना की रिपोर्ट	पीडब्ल्यू 5 रेखा, पीडब्ल्यू 6 धर्मेन्द्र हुड्डा, पीडब्ल्यू 7 चम्पा देवी
प्रदर्श पी 3	परिवादिया रेखा कुमारी के धारा 164 सीआर.पी.सी. के बयान	पीडब्ल्यू 5 रेखा, पीडब्ल्यू 6 धर्मेन्द्र हुड्डा
प्रदर्श पी 4	पर्चाचाक एफआईआर	पीडब्ल्यू 6 धर्मेन्द्र हुड्डा

ख. बचाव

प्रदर्श सं.	प्रदर्शित दस्तावेज का विवरण	गवाह जिसके द्वारा दस्तावेज सिद्ध अथवा प्रमाणित किया गया
——	——	——

::निर्णय:: **दिनांक– 09 अप्रैल, 2026**

1. थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली जालोर ने जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी के अभियुक्त कैलाश के विरुद्ध आरोप पत्र अपराध अंतर्गत धारा 341, 354, 354घ व 509 भारतीय दंड संहिता में दिनांक 10.03.2022 को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालोर में पेश किया, जिस पर प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया था। तत्पश्चात् हस्तगत प्रकरण श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालोर के आदेश क्रमांक 34 दिनांकित 06.10.2025 की पालना में अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है, जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादिया सुश्री रेखा कुमारी उर्फ पिंकी पुत्री सुजाराम, जाति माली, निवासी राजेन्द्र नगर जालोर, पुलिस थाना कोतवाली जालोर, जिला जालोर मय अपनी माता चम्पादेवी पत्नी सुजाराम ने दिनांक 22.02.2022 समय 09:31 पर थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली जालोर के समक्ष एक टाइपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि प्रार्थिया को उसका पड़ोसी कैलाश पुत्र उम्मेदाराम, जाति माली, निवासी जालोर जो विवाहित है। कैलाश गत करीबन पांच माह से प्रार्थिया को छेड़छाड़ कर तंग व परेशान कर रहा है। आए दिन उसे देखकर अश्लील व भद्दे इशारे कर उसे मानसिक रूप से परेशान व प्रताड़ित कर रहा है। दिनांक 22.02.2022 को वह, उसका पति प्रवीण पुत्र जगदीशजी, निवासी रामपुरा कॉलीनी व उसकी छोटी बहन तीनों कानीवाड़ा दर्शन करने जा रहे थे, रास्ते में सर्किट हाउस के आगे गाड़ी रोककर खड़ा था। गाड़ी रोकते ही उसने उनके साथ गाली–गलौच व हाथ खींचने लगा। जोर जबरदस्ती करने लगा, तब वे पुनः वापस डर के मारे घर लौट गए तथा उक्त घ ाटना की जानकारी उसकी माता को बताई। इतने में कैलाश घर के बाहर आ गया। उसकी माता ने कैलाश को ओलबा देते हुए उसे समझाने का प्रयास किया तो कैलाश भड़क गया व उसकी माता को गंदी–गंदी गालियां देते हुए धमकी दी कि उसकी पुत्री पिंकी को वह मौका मिलते ही उठाकर ले जाएगा। जाते–जाते कैलाश पुनः उसकी तरफ मुड़कर अवैध संबंध हेतु अश्लील इशारे करता हुआ चला गया.....इत्यादि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली जालोर में अभियोग संख्या 68/2022 अंतर्गत धारा 341, 354, 509 भा.दं.सं. में पंजीबद्ध किया जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्त कैलाश के विरूद्ध धारा 341, 354, 354डी, 509 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध बनना पाये जाने पर आरोप प्रमाणित मानकर आरोप–पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया व प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. दिनांक 10.03.2022 को अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 341, 354, 354घ व 509 भारतीय दंड संहिता का आरोप पृथक् से लिखित रूप से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहान को परीक्षित करवाया गया तथा उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित करवाई गई। अभियुक्त के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में लेखबद्ध किए गए तो अभियुक्त ने साक्ष्य को गलत होना बताते हुए झूठे फंसाए जाने का कथन करते हुए प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश करना चाहा, किंतु साक्ष्य प्रतिरक्षा

पेश नहीं किए जाने पर साक्ष्य प्रतिरक्षा दिनांक 06.05.2024 को बंद की गई।

4. उक्त आरोपित अपराध के संबंध में बहस के दौरान अभियोजन अधिकारी का निवेदन है कि पत्रावली पर आई साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अंत में अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्त का निवेदन रहा कि अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान की साक्ष्य से अभियुक्त की आरोपित अपराध में लिप्तता प्रमाणित नहीं हुई है, अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है और झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया है कि हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से कोई भी स्वतंत्र गवाह परीक्षित नहीं करवाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहों की साक्ष्य में विरोधाभास है एवं परिवादिया द्वारा हस्तगत प्रकरण रुपयों की लेन–देन के विवाद को लेकर करवाया है। अंत में अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

5. उभय पक्षकारान की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। इस प्रकरण में न्यायालय के समक्ष निम्नांकित अवधार्य प्रश्न विचारणीय हैः–

1. ''क्या अभियुक्त ने दिनांक 22.02.2022 को किसी समय मौजा सर्किट हाउस के पास में परिवादिया सुश्री रेखा कुमारी उर्फ पिंकी को रास्ते पर जाते हुए को रोककर उसका सदोष अवरोध कारित किया व परिवादिया एवं उसकी बहन की लज्जा भंग करने के आशय से उनके हाथ खींचकर उन पर आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा परिवादिया के मना करने के बावजूद बारंबार उसका पीछा कर उससे संपर्क करने का प्रयत्न किया एवं परिवादिया व उसकी माता की लज्जा का अनादर करने के आशय से उन्हें अश्लील गालियां देकर उनकी एकान्तता का अतिक्रमण कारित किया? इस प्रकार अभियुक्त ने धारा 341, 354, 354घ, 509 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया है।''

2. यदि हां, तो उपयुक्त दण्ड क्या होगा ?

6. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन की मुख्य गवाह परिवादिया रेखा पीडब्ल्यू 5 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि कैलाश उनके घर के पीछे रहता है व उसके पिता के साथ वह काम करने जाती थी, जो हलवाई का काम करते थे। उसकी माता भी काम करने के लिए जाती थी। कैलाश उसकी माता के फोन पर फोन करता था। दिनांक 22.02.2022 को वह, उसका पति प्रवीण व उसकी छोटी बहन ललिता तीनों मोटरसाईकिल पर कानीवाड़ा जा रहे थे। सर्किट हाउस के आगे पिछोला रोड पर पहुंचे तो वहां कैलाश मोटरसाईकिल लेकर खड़ा था एवं उन्हें देखकर कैलाश ने उनकी मोटरसाईकिल को रुकवाया व उसका हाथ खींचा तथा उसके साथ गाली–गलौच करने लगा। वह नीचे गिर गई। फिर वे तीनों घर आ गए और घटना की जानकारी उसकी माता को बताई। उसकी माता कैलाश को ओलबा देने गई तो कैलाश ने उसकी माता को गालियां दीं और धमकी दी कि मौका मिलते ही वह उसकी लड़की को उठाकर ले जाएगा। उसने घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 थाने में पेश की थी। पुलिस को घटनास्थल का मौका दिखाया

था, जो प्रदर्श पी–1 है। उसके न्यायालय में बयान हुए थे, जो प्रदर्श पी–3 है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया है कैलाश उसके दूर के रिश्ते में मामा लगता है। उसके गिरने से कोई चोट नहीं आई थी। वह कैलाश के साथ काम पर जाती तो कैलाश 300 रुपये एक दिन के देता था। यह गलत है कि कैलाश ने उसे एडवांस रुपये दिए हो और एडवांस वापस देने की मांग के कारण उसने झूठा मुकदमा किया हो। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित चश्मदीद गवाह पीडब्ल्यू 3 ललिता ने भी अपनी साक्ष्य में मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 22.02.2022 को वह, उसके जीजा प्रवीण व उसकी बहन रेखा मोटरसाईकिल पर कानीवाड़ा जा रहे थे, तब रास्ते में सर्किट हाउस के आगे पिछोला रोड पर कैलाश खड़ा था। कैलाश ने उनकी मोटरसाईकिल को रुकवाया, वह उनके आड़े फिरा। उसकी बहन रेखा का हाथ पकड़कर खींचने लगा और उन्हें गंदी–गंदी गालियां देने लगा। उसके जीजाजी प्रवीणजी छुड़वाने गए तब मुलजिम कैलाश चला गया। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया है कि सर्किट हाउस के वहां घटना नहीं हुई, सर्किट हाउस से आधा किलोमीटर दूर गली में घटना हुई थी। वहां आम रास्ता नहीं है, न ही लोग आते–जाते हैं। यह सही है कि रेखा उसकी बहन है, जो मुलजिम कैलाश के साथ काम करती थी, जो रसोई का काम था। मोटरसाईकिल के कैलाश आड़ा फिरा था, परंतु वे नहीं गिरे थे। हाथ खींचने से उसकी बहन नीचे गिरी थी।

7. अभियोजन के अन्य चश्मदीद गवाह प्रवीण माली ने अपनी साक्ष्य में मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 22.02.2022 को वह, उसकी पत्नी रेखा व ललिता मोटरसाईकिल पर कानीवाड़ा जा रहे थे। सर्किट हाउस से थोड़ा आगे पिछोला रोड पर पहुंचे तो कैलाश कुमार वहां खड़ा था। कैलाश कुमार ने उन्हें मोटरसाईकिल रोकने का इशारा किया, तब उसने मोटरसाईकिल साइड में की। तब कैलाश ने उसकी पत्नी रेखा का हाथ खींचा और उसके साथ गंदी हरकतें कीं और रेखा के थप्पड़ मारी। वह बीच–बचाव करने गया, तब अभियुक्त कैलाश ने उसका हाथ छोड़ दिया। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि सर्किट हाउस घटनास्थल से 10–15 कदम दूरी पर था। यह सही है कि घटनास्थल पर लोगों की आवाजाही थी, क्योंकि वह मुख्य सड़क है, जो लेटा से जालोर की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क है। चोटें नोर्मल थी, इसलिए उन्होंने डॉक्टरी नहीं कराई थी। कैलाश के यहां रेखा रसोई बनाने का काम करती थी, क्योंकि वे दोनों पड़ोसी थी। गवाह पीडब्ल्यू 7 चम्पा देवी ने अपनी साक्ष्य में मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि साक्ष्य दिवस से करीब दो साल पहले उसकी पुत्री रेखा कानीवाड़ा हनुमानजी मंदिर दर्शन के लिए जा रही थी, जिसके साथ में प्रवीण व ललिता भी थे। पिछोला रोड पर कैलाश खड़ा था, जिसने रेखा का हाथ खींचा और कहा कि प्रवीण के साथ क्यों जा रही है, उसके साथ चल। फिर रेखा घर पर आई और उसे बात बताई। फिर वह गली में गई, कैलाश को कहा कि उसकी पुत्री के आड़े क्यों फिरा, तब कैलाश ने गाली–गलौच की। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया है कि रेखा तथा वह कैलाश के पिताजी के साथ खाना बनाने के काम के लिए साथ जाते थे। वह घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं थी। कैलाश उसकी रिश्तेदारी में लगता है।

8. इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह पीडब्ल्यू 1 सूजाराम व पीडब्ल्यू 2 पुखराज जो नक्शा मौका प्रदर्श पी–1 के मौतबीर हैं, ने अपनी साक्ष्य में नक्शा मौका प्रदर्श पी–1 की ताईद की है। गवाह पीडब्ल्यू 6 धर्मेन्द्र हुड्डा जो हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में हस्तगत प्रकरण में रूबरू मौतबीरान घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी–1 तैयार करने का, दौराने अनुसंधान गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध करने का, पीड़िता रेखा कुमारी के धारा 164 सीआर.पी.सी. के बयान न्यायालय से करवाकर प्रदर्श पी–3 प्राप्त करने का व बाद अनुसंधान अभियुक्त कैलाश के विरुद्ध धारा 341, 354, 354डी व 509 भारतीय दंड संहिता का अपराध प्रमाणित मान आरोप–पत्र न्यायालय में पेश करने की साक्ष्य दी है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि घटनास्थल आम सड़क है, जो जालोर से लेटा की ओर जाती है और वहां पर साधनों द्वारा लोगों की आवाजाही रहती है। घर पर हुई घटना का कोई नक्शा मौका नहीं बनाया। घटना जालोर लेटा सड़क पर हुई थी।

9. इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान की साक्ष्य का अवलोकन करें तो अभियोजन की मुख्य गवाह परिवादिया रेखा पीडब्ल्यू 5 ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन कहानी का समर्थन करते हुए दिनांक 22.02.2022 को उसके, उसके पति प्रवीण व छोटी बहन ललिता के मोटरसाईकिल पर जाने का व मोटरसाईकिल को अभियुक्त कैलाश द्वारा रुकवाकर, अभियुक्त द्वारा उसका हाथ खींचने का कथन किया है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उक्त गवाह से विस्तृत रूप से जिरह की गई है, जिसमें अभियुक्त द्वारा परिवादिया को रुकवाकर उसके हाथ खींचने के तथ्य का कोई खंडन नहीं होता है। अभियोजन के चश्मदीद गवाह पीडब्ल्यू 3 ललिता द्वारा भी अपनी साक्ष्य में अभियोजन कहानी का समर्थन करते हुए अभियुक्त कैलाश द्वारा मोटरसाईकिल को रुकवाकर उनके आड़े फिरने का व उसकी बहन रेखा का हाथ पकड़कर खींचने का कथन किया है। गवाह पीडब्ल्यू 4 प्रवीण ने भी अपनी साक्ष्य में अभियुक्त कैलाश द्वारा उनकी मोटरसाईकिल को रुकवाने का और अभियुक्त द्वारा उसकी पत्नी रेखा का हाथ खींचने का कथन किया है। उक्त गवाहान से भी अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा विस्तृत रूप से जिरह की गई है, जिसमें अभियुक्त कैलाश द्वारा परिवादिया को रुकवाकर उसका हाथ पकड़कर खींचने के तथ्य का कोई खंडन नहीं हुआ है। अनुसंधान अधिकारी पीडब्ल्यू 6 धर्मेन्द्र हुड्डा ने भी अपनी साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप प्रमाणित माना है। ऐसे में उक्त समस्त साक्ष्य के विवेचन से अभियुक्त के विरुद्ध धारा 341, 354 भारतीय दंड संहिता का आरोप संदेह से परे साबित होता है।

10. इसके अतिरिक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 354घ भारतीय दंड संहिता का आरोप है, जिसको साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना आवश्यक है कि परिवादिया द्वारा मना करने के बावजूद अभियुक्त द्वारा उसका बार–बार पीछा किया गया व उससे संपर्क करने का प्रयत्न किया गया। इस संबंध में परिवादिया पीडब्ल्यू 5 रेखा ने अपनी साक्ष्य में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्त कैलाश द्वारा उसका बार–बार पीछा कर उससे संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न किया गया। अभियोजन के अन्य गवाहान पीडब्ल्यू 3 ललिता, पीडब्ल्यू 4 प्रवीण माली व पीडब्ल्यू 7 चम्पा देवी ने भी अपनी साक्ष्य

में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा परिवादिया का बार–बार पीछा कर उससे संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न किया गया हो, जिस कारण धारा 354घ भारतीय दंड संहिता का आरोप अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे साबित नहीं होता है। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 509 भारतीय दंड संहिता का भी आरोप है, जिसको साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा परिवादिया रेखा व उसकी माता की लज्जा का अनादर करने के आशय से उन्हें अश्लील गालियां दी गईं या कोई ध्वनि या कोई अंग विक्षेप कर या कोई वस्तु प्रदर्शित की गई। इस संबंध में परिवादिया रेखा द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा उसके साथ गाली–गलौच करने का व उसकी माता जब अभियुक्त कैलाश को ओलबा देने गई तो उसकी मां को भी गालियां देने का कथन किया है। गवाह पीडब्ल्यू 7 चम्पा देवी ने भी अपनी साक्ष्य में अभियुक्त कैलाश द्वारा उसके साथ गाली–गलौच करने का कथन किया है। उक्त दोनों ही गवाहान ने अपनी साक्ष्य में यह स्पष्ट नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा उन्हें क्या गालियां दी गईं, न ही ऐसा कोई कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा उनकी लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द, ध्वनि, अंग विक्षेप या वस्तु प्रदर्शित की गई, जिससे उनकी एकांतता का अतिक्रमण हुआ हो। ऐसे में धारा 509 भारतीय दंड संहिता का आरोप भी अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे साबित नहीं होता है।

11. बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया है कि हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित सभी गवाहान परिवादिया रेखा के रिश्तेदार होकर हितबद्ध गवाह हैं। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि केवल मात्र इस आधार पर कि हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से स्वतंत्र गवाह परीक्षित नहीं करवाया है, अभियोजन मामले को खारिज नहीं किया जा सकता। सामान्यतः आम जनता अदालत में गवाही देने से बचती है एवं न्यायिक प्रक्रिया से दूर रहती है। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान परिवादिया रेखा व अन्य गवाह ललिता व प्रवीण माली जो चश्मदीद गवाह है, की साक्ष्य विश्वसनीय है, जिस कारण मात्र स्वतंत्र गवाह के परीक्षित नहीं करवाने से अभियोजन कहानी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है।

12. इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि हस्तगत प्रकरण में परिवादिया व अभियुक्त के मध्य रुपयों का विवाद होने से झूठा मुकदमा करवाया है। इस संबंध में परिवादिया की साक्ष्य का अवलोकन करें तो उसके द्वारा अपनी साक्ष्य में इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त ने उसे कोई एडवांस रुपये दिए हो, जिसकी मांग करने के कारण उसने झूठा मुकदमा किया हो। अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में भी ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है, जिससे यह साबित हो कि उसके द्वारा परिवादिया को एडवांस रुपये दिए हो, न ही परिवादिया एवं अन्य गवाहान की जिरह में ऐसा कोई तथ्य आया हो कि परिवादिया व अभियुक्त के मध्य रुपयों की लेन–देन को लेकर कोई विवाद हो। बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान की साक्ष्य में विरोधाभास है। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि गवाहों के बयानों में विरोधाभास आना अस्वाभाविक नहीं है, परंतु हर विरोधाभास ऐसा नहीं होता जो संपूर्ण अभियोजन मामले को ही संदेहास्पद बना दे। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान की साक्ष्य

में ऐसा कोई तात्विक विरोधाभास नहीं है, जो पूरे मामले को ही संदिग्ध बनाता हो। गवाहान की साक्ष्य में सूक्ष्म विरोधाभास आना अवश्यंभावी है, क्योंकि प्रत्येक गवाह की स्मृति और प्रेक्षण में भिन्नता होती है। गवाहान की साक्ष्य को ज्यामितीय दृष्टिकोण से नहीं परीक्षित किया जाना चाहिए एवं गवाहों की साक्ष्य में मामूली प्रकृति के विरोधाभास को नजरअंदाज किया जा सकता है।

13. अतः उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अभियोजन पक्ष अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 354 भारतीय दंड संहिता से जोड़ने में व अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल तथा अपराध अंतर्गत धारा 354घ, 509 भारतीय दंड संहिता से जोड़ने में व अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त कैलाश को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 354 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

14. परिणामतः अभियुक्त **कैलाश पुत्र उम्मेदाराम, निवासी राजेन्द्र नगर, जालोर, पुलिस थाना कोतवाली जालोर, जिला जालोर** को आरोप अंतर्गत धारा 341, 354 भारतीय दंड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है तथा आरोप अंतर्गत धारा 354घ, 509 भारतीय दंड संहिता के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

(राजेन्द्रसिंह चारण)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सं. 01, जालोर

सजा के प्रश्न पर उभय पक्षों को सुना गया।

सजा के बिन्दु पर सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

15. सजा के प्रश्न पर दोनों पक्षों को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त गरीब व्यक्ति है। अभियुक्त इस प्रकरण में वर्ष 2022 से अन्वीक्षा भुगत रहा है। उसके विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने का निवेदन किया, जबकि अभियोजन अधिकारी ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को यथोचित दण्ड से दण्डित करने का निवेदन किया।

16. उक्त तर्कों के संबंध में पत्रावली का पुनः अवलोकन किया गया। अभियुक्त पर परिवादिया को रोककर उसकी लज्जा भंग करने का आरोप है, जिस कारण प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में संपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को निम्न प्रकार से दंडित किया जाना उचित प्रतीत होता है–

:: दण्डादेश ::

17. अभियुक्त **कैलाश पुत्र उम्मेदाराम, निवासी राजेन्द्र नगर, जालोर, पुलिस थाना कोतवाली जालोर, जिला जालोर** को आरोपित अपराध अंतर्गत 341, 354 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किए जाने पर :–

1.) धारा 341 भारतीय दंड संहिता के आरोप की दोषसिद्धि में **एक (1) माह के साधारण कारावास एवं 500/– (अक्षरे पांच सौ रुपये)** अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड **सात (7) दिवस** का मूल सजा के अतिरिक्त साधारण कारावास।

2.) धारा 354 भारतीय दंड संहिता के अपराध के आरोप की दोषसिद्धि में **एक (1) वर्ष के साधारण कारावास एवं 5,000/– रुपये (अक्षरे पांच हजार रुपये)** अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड **पन्द्रह (15) दिवस** का मूल सजा के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि में से 5,000/– (अक्षरे पांच हजार रुपये) बाद गुजरने म्याद अपील बतौर प्रतिकर राशि परिवादिया रेखा कुमारी को अदा की जाए।

18. अभियुक्त की सभी सजाएं साथ–साथ चलेंगी। अभियुक्त द्वारा पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि उसकी मूल सजा में से मुजरा कर शेष सजा भुगताई जावे। तद्नुसार सजा वारंट बनाया जावे। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

19. अभियुक्त द्वारा न्यायालय में पूर्व में प्रत्येक पेशी पर नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। अभियुक्त का सजा वारण्ट मुर्तिब हो। अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति तुरन्त निःशुल्क दी जावें।

(राजेन्द्रसिंह चारण)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सं.01, जालोर

20. निर्णय व आदेश आज दिनांक 09.04.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर उद्घोषित किया गया।

(राजेन्द्रसिंह चारण)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सं.01, जालोर